



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10092021-229540
CG-DL-E-10092021-229540

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3366]
No. 3366]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 10, 2021/भाद्र 19, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 10, 2021/BHADRA 19, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2021

आय-कर

का.आ. 3678(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 47 के खंड (vii)कच) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के अधीन पूंजी आस्ति के अंतरण को, एयर इंडिया लिमिटेड (पैन : AACCN6194P) जो पब्लिक सेक्टर का अंतरक है, एयर इंडिया ऐसेट होल्डिंग लिमिटेड (पैन : AAQCA4703M) जो पब्लिक सेक्टर कंपनी की अंतरिती है, अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2022 से प्रवृत्त होगी और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2022-2023 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 104/2021/फा. सं. 370149/158/2021-टीपीएल]

अंकित जैन, अवर सचिव (कर नीति और विधायन)